The Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2008

Act 30 of 2008

Keyword(s):
Contingency Fund, Relief, Rehabilitation, Emergency Measures

Amendments appended: 14 of 2011, 20 of 2011, 13 of 2012, 4 of 2015

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 पौष 1930 (श0)

(सं0 पटना 582) **पटना, बुधवार 24 दिसम्बर 2008**

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

24 दिसम्बर 2008

सं०एल0जी0-1-21/2008/लेज:190-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

[बिहार अधिनियम 30, 2008]

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008

प्रस्तावनाः—बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

चूँकि राज्य गंभीर रूप से आपदा की चपेट में है,

और, चूँकि राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर किया जाना है,

इसलिए अब, भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 19, 1950 की धारा-4 का संशोधन।—बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-4 के परन्तुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''परन्तु बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 के आरंभ की तिथि से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान इस धारा का प्रभाव इस उपांतरण के अधीन रहते हुए रहेगा कि शब्द 'तीन सौ पचास करोड़' शब्द के स्थान पर शब्द ''दो हजार पाँच सौ करोड़'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेगे।''

3. निरसन एवं व्यावृति।—(1) बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश 2008 (बिहार अध्यादेश संख्या-2, 2008) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

---

24 दिसम्बर 2008

सं० एल0जी0-1-22/2008/लेज:191-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 December, 2008 को अनुमत बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

[Bihar Act 30, 2008]

THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2008

AN

ACT

Preamble:-TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND ACT, 1950 (BIHAR ACT 19 OF 1950)

WHEREAS, the State is in grip of unprecedented disaster;

AND, WHEREAS, relief and rehabilitation measures have to be undertaken on an emergent scale;

NOW, THEREFORE, be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the fiftyninth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.-(1) This Act may by called the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2008

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section-4 of Bihar Act 19 of 1950.- For the proviso to section-4 of the Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19 of 1950) (hereinafter referred to as the said Act) the following proviso shall be substituted, namely :-

"Provided that during the period beginning on the date of commencement of the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act,- 2008 and ending on 31 st day of March 2009 this section shall have effect subject to the modification that for the words 'three hundred and fifty crores' shall be substituted by the words 'two thousand five hundred crores'

3. Repeal and savings- (1) The Bihar Contingency Fund (Amendment) ordinance, 2008 (Bihar Ordinance No. 2, 2008) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of any power conferred by, or under the said Ordinance shall be deemed to have been done and taken in exercise of the power conferred by or under this Act as if this Act were enforce on the day on which such things was done or action taken.

By Order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA KUMAR MISHRA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 582-571+400-डी0टी0पी0।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1933 (श0)

(सं0 पटना 400) पटना, बुधवार, 3 अगस्त 2011

विधि विभाग

———

अधिसूचनाएं

3 अगस्त 2011

सं० एल0जी0-1-22/2011/लेज-158—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 2 अगस्त 2011 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 14, 2011]

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011

प्रस्तावनाः—बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

चूँकि, राज्य में अनियमित मानसून एवं भू—जल स्तर गिरने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है एवं कुछ क्षेत्र में बाढ़ आने की सम्भावना है और चूँकि राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर किया जाना है, इसलिए अब, भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।— (1) यह अधिनियम बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) यह 01 अप्रील 2011 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 19, 1950 की धारा—4 का संशोधन। — बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) की धारा—4 के परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगाः—

''परन्तु बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रभावी होने की तिथि से प्रारम्भ होकर 30 मार्च, 2012 तक की अवधि के दौरान इस धारा का प्रभाव इस उपांतरण के अधीन रहते हुए रहेगा कि शब्द 'तीन सौ पचास करोड़' शब्द ''एक हजार करोड़'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।''

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

———

3 अगस्त 2011

सं० एल०जी०—1—22/2011—159/लेज०—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 अगस्त 2011 को अनुमत बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 14, 2011]

THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2011

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND ACT, 1950 (BIHAR ACT 19, 1950)

WHEREAS, the irregular monsoon and the resultant fall in ground water level is likely to adversely effect the agriculture and drinking water situation on the one hand and there is every possibility of flood in some areas of the State on the other;

AND, WHEREAS, relief and rehabilitation measures have to be undertaken on an emergent and massive scale;

NOW, THEREFORE, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty second year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title and commencement.*—(1)This Act may by called the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force from 1st April 2011.

2. Amendment of section-4 of Bihar Act 19 of 1950.- For the proviso to section-4 of the Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19, 1950) shall be substituted as follows :-

"Provided that during the period beginning on the date of commencement of the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act,- 2011 and ending on 30th day of March 2012 this section shall have effect subject to the modification that the words "Rupees three hundred and fifty crore" shall be substituted by the words "Rupees One thousand crore".

By Order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 400-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 798) पटना, वृहस्पतिवार, 22 दिसम्बर 2011

विधि विभाग

———

अधिसूचनाएं

22 दिसम्बर 2011

सं० एल0जी0-1-31/2011/लेज-235—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 20, 2011]

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011

प्रस्तावना।– बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

चूँकि, राज्य में अनियमित मानसून एवं भू–जल स्तर गिरने के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव तथा पेयजल की समस्या उत्पन्न होने तथा कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की सम्भावना को देखते हुए राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर करना पड़ सकता था इसलिए बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 2011 (बिहार अधिनियम 14, 2011) के द्वारा आकस्मिकता निधि का कार्य अस्थायी रूप से बढ़ाकर 30 मार्च 2012 तक 1000 (एक हजार) करोड़ रूपये अस्थायी रूप से किया गया था। उपरोक्त सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के अलावे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए पैक्स के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति की जानी है। इसलिए अब, भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।–(1) यह अधिनियम बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) यह 01 अप्रील 2011 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 19, 1950 की धारा–4 का संशोधन। – बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) की धारा–4 का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''परन्तु बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रभावी होने की तिथि से प्रारम्भ होकर 30 मार्च, 2012 तक की अवधि के दौरान इस धारा का प्रभाव, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए, होगा कि शब्द 'एक हजार करोड़' शब्द ''एक हजार एक सौ पचास करोड़'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।''

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

---

22 दिसम्बर 2011

सं० एल०जी०-1-31/2011/236/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को अनुमत बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 20,2011]

THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2011

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND ACT, 1950 (BIHAR ACT 19, 1950)

PREAMBLE.—WHEREAS, irregular monsoon and the resultant fall in ground water level was likely to adversely affect the agriculture and drinking water situation on the one hand and there was every possibility of flood in some areas of the State on the other, for which relief and rehabilitation measures might have been required to be undertaken on an emergent and massive scale, the size of the contingency fund was increased by Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2011 [Bihar Act 14, 2011] to Rs.1000 (One thousand) Crore;

AND, WHEREAS, apart from all the above, to ensure remunerative price, to farmers, of their produce, paddy has to be procured through the PACS.

NOW, THEREFORE, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty second year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may by called the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2011

(2) It shall come into force from 1st April 2011.

2. *Amendment of section-4 of Bihar Act 19 of 1950.*— For the proviso to section-4 of the Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19, 1950) shall be substituted by the following :-

"Provided that during the period beginning on the date of commencement of the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2011 and ending on 30th day of March 2012 this section shall have effect subject to the modification that the words "Rupees One thousand crore" shall be substituted by the words "Rupees One thousand One hundred and Fifty crore".

By Order of the Governor of Bihar,
OM PRAKASH SINHA,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 798-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण 1934 (श0)

(सं0 पटना 402) पटना, शुक्रवार, 17 अगस्त 2012

विधि विभाग

———

अधिसूचना

17 अगस्त 2012

सं० एल0जी0-1-08/2012/लेज-370—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 16 अगस्त 2012 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012

[बिहार अधिनियम 13, 2012]

बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

प्रस्तावनाः— चूँकि, किसानों को उनकी उपज की उचित मूल्य दिलाने के लिए पैक्स के माध्यम से गेहूँ/धान की अधिप्राप्ति की जानी है, और चूँकि, राज्य में अनियमित मौनसून एवं भू–जलस्तर गिरने के कारण कृषि पर कभी–कभी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना रहती है जिसके कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर किया जाना होता है । साथ ही साथ कई अन्य आवश्यक कार्यों को तुरन्त निष्पादित करने की आवश्यकता रहती है, और आकस्मिकता निधि की वर्तमान स्थायी काय 350 करोड़ रुपए अपर्याप्त हो सकती है;

इसलिए अब, भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।— (1) यह अधिनियम बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार आकस्मिकता अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) की धारा–4 के बाद एक नई धारा–4 'क' का अंतःस्थापन । – बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) की धारा–4 के बाद निम्नलिखित नई धारा–4 'क' अंतःस्थापित की जाएगी, यथाः—

''4 'क' अस्थायी काय— बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रभावी होने की तिथि से प्रारंभ होकर प्रत्येक वर्ष 30 मार्च, तक के लिए आकस्मिकता निधि के स्थायी काय में 350 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़) रुपए से अधिक वृद्धि करने की यदि अपेक्षा हो तो उसे मंत्रिपरिषद् द्वारा अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकेगा जो उस वर्ष के वित्तीय वर्ष के 30 मार्च तक, व्यय बजट का अधिकतम 3 (तीन) प्रतिशत तक होगा। उस राशि में से एक तिहाई राशि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए ही किया जा सकेगा ।''

3. निरसन एवं व्यावृति (1) बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (बिहार अध्यादेश संख्या–1, 2012) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

17 अगस्त 2012

सं० एल0जी0-1-08/2012/लेज-371—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2012 को अनुमत बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 13, 2012) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2012

[Bihar Act 13, 2012]

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND ACT, 1950 (BIHAR ACT 19, 1950).

Preamble—WHEREAS, to ensure remunerative price, to farmers, of their produce, wheat/paddy has to be procured through the PACS.

AND, WHEREAS, irregular monsoon and the resultant fall in ground water level sometime adversely affect the agriculture, create drinking water problem and possibility

of flood in some areas. Which requires relief and rehabilitation measures to be undertaken on an emergent and massive scale, along with disposal of many other essential works during that time and the present permanent corpus of 350 crore of contingency funds may be insufficient;

Now, therefore, be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Sixty three year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title and commencement*.—(1) This Act may be called the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

2. *Insertion of a new section-4A in the Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19, 1950)*—After section-4 of Bihar Contingency Fund Act, 1950 (Bihar Act 19, 1950), the following new section-4A, shall be inserted namely-

" 4A Temporary corpus- Starting from the date of commencement of Bihar Contingency Fund (Amendment) Act 2012 every year till the 30th March, if it requires to increase the permanent corpus of Contingency Fund beyond Rs.350 crore, (three hundred fifty crore) the same may be enhanced temporarily by the Cabinet up to the maximum of 3 (three) percent of the expenditure budget of that year up, for the period ending on 30th March of that financial year. One third of the total amount so enhanced may be used only for relief and rehabilitation measures due to natural calamities. "

3. Repeal and Savings:—(1) Bihar Contingency Fund(Amendment) Ordinance, 2012 (Bihar Ordinance No.-1, 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken in the exercise of any power conferred by or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act, as if this Act were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 402-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 वैशाख 1937 (शo)

(सं0 पटना 507) पटना, शुक्रवार, 24 अप्रील 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

24 अप्रील 2015

सं० एल0जी0-1-07/2015/लेजः—47—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 अप्रील 2015 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015

[बिहार अधिनियम 4, 2015]

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 13, 2012) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना। – चूँकि, भारत सरकार से केन्द्रीय योजनागत योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के स्वरूप में व्यापक परिवर्त्तन हुए हैं और बजट प्रावधान उसके अनुरूप नहीं किया गया है और राशि का व्यय शीघ्र किया जाना अपेक्षित है, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए पैक्स के माध्यम से गेहूँ/धान की अधिप्राप्ति की जानी है, और चूँकि, राज्य में अनियमित मौनसून एवं भू–जलस्तर गिरने के कारण कृषि पर कभी–कभी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना रहती है जिसके कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों को आपात और व्यापक पैमाने पर किया जाना होता है, साथ ही साथ, कई अन्य आवश्यक कार्यों को तुरन्त निष्पादित करने की आवश्यकता रहती है।

वर्ष 2012 में बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (बिहार अधिनियम 19, 1950) में धारा–4 'क' का अंतःस्थापन किया गया था और जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि स्थायी काय 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये से अधिक वृद्धि करने की यदि अपेक्षा हो तो मंत्रिपरिषद् द्वारा अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकेगा जो उस वर्ष के वित्तीय वर्ष के 30 मार्च तक, व्यय बजट का अधिकतम 3 (तीन) प्रतिशत तक होगा और उस राशि में से एक तिहाई राशि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास उपायों के लिए किया जा सकेगा। वर्तमान में बिहार आकस्मिकता निधि का 350 (तीन सौ पचास) करोड़ रूपये के स्थायी काय के अतिरिक्त अस्थायी काय की व्यय बजट के 3 (तीन) प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी अपर्याप्त साबित हो रही है, अतः उक्त राशि को 3 (तीन) प्रतिशत से बढ़ा कर 4 (चार) प्रतिशत करना अपेक्षित है, के संदर्भ में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।– (1) यह अधिनियम बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 13, 2012) की धारा–4 'क' में संशोधन । – बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 13, 2012) की धारा–4 'क' में शब्द ''3 (तीन) प्रतिशत'' को शब्द ''4 (चार) प्रतिशत'' द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

24 अप्रील 2015

सं0 एल0जी0–1–07/2015/लेजः––48––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 अप्रील 2015 को अनुमत बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2015

[Bihar Act 4, 2015]

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 2012 (BIHAR ACT 13, 2012).

Preamble. -WHEREAS, to ensure the expenditure under Central Sector Scheme, Centrally sponsored schemes and Central Assistance to State Plan in which major changes have been made by the Government of India and for which budget provision has not been

made and the expenditure is required to be made imediately, to ensure remunerative price to farmers, of their produce, wheat/paddy has to be procured through the PACS;

AND WHEREAS, irregular monsoon and the resultant fall in ground water level sometimes adversely affect the agriculture and create drinking water problem and there is apprehension of flood in some areas, Which requires relief and rehabilitation measures to be undertaken on an emergent and massive scale, and for undertaking of many other essential works,

And For which the present permanent corpus of Rs 350 (Three hundred fifty) crore of contingency funds, along with the temporary corpus of up to 3% of the expenditure budget, which was provided for vide insertion of clause 4A of Bihar contingency fund (Amendment) Act of 2012, may be insuffecient;

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Sixty sixth year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title and commencement-*** (1) This Act may be called the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment in ***section 4A in the Bihar contingency fund (Amendment) Act, 2012 (Bihar Act 13, 2012)—*** In section 4A the word "3 (Three) percent" shall be subsitituted by word "4 (Four) percent" in the Bihar Contingency Fund (Amendment) Act, 2012 (Bihar Act 13, 2012).

By order of the Governor of Bihar,
AKHILESH KUMAR JAIN,
Secretary to Government.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 507-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in